सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

# न्यायालय सहायक कलक्टर, डीडवाना

पीठासीन अधिकारीः— **श्री उत्तमसिंह शेखावत, R.A.S.**

राजस्व वाद संख्याः **2017/282** दायर दिनांक **06.10.2017**

| वादी | | प्रतिवादीगण |
|---|---|---|
| 1. जेबून पत्नि श्री इस्माईल मोहम्मद जाति रंगरेज निवासी रघुनाथपुरा तहसील डीडवाना। | बनाम् | 1. तहसीलदार डीडवाना। |

**दावा बाबत् रेकर्ड दुरूस्ती**
**अन्तर्गत धारा 136 रा0भू0 राजस्व अधिनियम**

**उपस्थित** :— हकीम खांन अधिवक्ता वादी

—:: **निर्णय** ::—

दिनांक **29.11.2017**

वाद के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि वादी की खेत खसरा सख्या 2100/1751 जो हल्का पटवार क्षेत्र कोलिया के ग्राम रघुनाथपुरा में अवस्थित है। जिनके नामान्तरण सख्या 1547/1542 है। उक्त खेत का क्षेत्रफल 11 बिघा 09 बिस्वा है। जो वादीनी का एकल खातेदारी का खेत है। उक्त खेत की खातेदारी में वादीनी का नाम जेबून पत्नि इस्माइल मोहम्मद के स्थान पर जेबूनीशा पत्नि मोहम्मद इस्माइल जो राजस्व रेकर्ड में राजस्व अधिकारीयों के भूल से दर्ज हो गया है। जो कि गलत दर्ज हो गया है। जिसकी नकल खतौनी उक्त दावा के साथ में प्रस्तूत की गई है।

उपरोक्त वाद के पद सख्यां 01 में वर्णीत खसरा न. 2100/1751 रकबा 11 बिघा 09 बिस्वा भूमि उसके कुटूम्बिक सदस्यों की पैतृक कब्जे काश्त व खातेदारी की भूमि है। जो की पहले वादी के पुर्वजों के नाम से खातेदारी में अकित रही है पुर्वजों के फोत हाने पर उनके जायज उतरधिकारी व वारीशान के नाम जरीये फोतगी नामान्तरण के खातेदारी में अकित हुई है।

वादीनी का वास्तविक नाम जेबून पत्नि इस्माइल मोहम्मद है। यही नाम वादीनी के पहचान पत्र में उलेखित है। तथा वादीनी के परिवारीक राशन कार्ड आधार कार्ड में भी यही नाम अकिंत किया गया है। उक्त सभी दस्तावेजों की फोटो प्रतियां उक्त दावा के साथ में प्रस्तुत है।

उक्त वाद में वर्णीत खेत खसरा न. कि एकल खातेदारी में वादीनी का नाम जेबुनिशा पत्नि मोहम्मद इस्माइल राजस्व अधिकारीयों की लापरवाही व भुल के कारण दर्ज हुआ है। जबकि वादीनी का वास्तविक नाम जेबुन पत्नि इस्माइल मोहम्मद दर्ज होना चाहिए।

वादीनी का नाम गलत होने की जानकारी वादीनी को हाल ही में उक्त खतौनी की नकल लेने से दिनाकं 13.09.2017 को हुई है। कि वादीनी का नाम जेबुनीशा पत्नि इस्माइल वास्तव में गलत अकित हुआ है। जबकि इस नाम की कोई महिला न तो पहले ग्रम रघुनाथपुरा में थी और ना इस नाम की कोई महिला का नाम वर्तमान में है। इस प्रकार यह स्पष्ट है कि वादीनी का नाम गलत

सहायक कलेक्टर
डीडवाना (नागौर)

Scanned by CamScanner

राजस्व–वाद, संख्या–2017 / 282
दायर दिनांक 06.10.2017 निणर्य 24.11.2017
जेबुन बनाम तहसीलदार डीडवाना वगैरा।

अकित हुआ हैं इससे वादी के जायज अधिकार खतरे में पड गये है। वादीनी गलत अकित नाम को दुरूस्त करवाकर अपना सही नाम जिसे खतेदारी में अकित कराने का कानुनी तौर पर हकदार है। अत वादीनी को यह दावा करना बेहद ही लाजमी हो गया है।

प्रार्थना वादी इस प्रकार है। कि वादीनी का खेत खसरा न. 2100 / 1751 जो सरहद हल्का पटवार क्षेत्र कोलिया के ग्राम रघुनाथपुरा की एकल खातेदारी में वादीनी का नाम जेबुनीशा पत्नि ईस्माइल जो गलत दर्ज हो गया है। जिसके दुरूस्त करवाकर इसके स्थान पर वादीनी का नाम खातेदारी में जेबुन पत्नि ईस्माइल मोहम्मद अकित करवाये जावें।

वादीनी का वाद दर्ज रजिस्टर कर प्रतिवादी को जरिये सम्मन तलब किया। प्रतिवादी सं0 01 बावजुद तामील के न्यायालय में अनुपस्थित। अतः इनके विरूद्ध एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लाई जाती है।

वकील वादी की सारगर्भित बहस सुनी गई। रेकर्ड का अवलोकन किया। तर्को पर मनन करने तथा रेकर्ड के अवलोनोपरान्त वादी का वाद डिक्री सादिर किया जाता है।

**–:: आदेश ::–**

हस्व दावा डिक्री सादिर कर, वाकै सरहद कोलिया के खसरा संख्या 2100 / 1751 रकबा 11 बीघा 09 बिस्वा में वादीनी का नाम जुबुनिशा पत्नी मोहम्मद ईस्माइल के स्थान पर जेबुन पत्नी ईस्माइल मोहम्मद दुरूस्त किया जाता है। तदनुसार राजस्व रेकर्ड दुरूस्त हो। डिक्री जारी हो।

(उत्तमसिंह शेखावत)
R.A.S.
सहायक कलक्टर
डीडवाना

सहायक कलक्टर
डीडवाना (नागौर)

निर्णय आज दिनांक **29.11.2017** को सरे इजलास में सुनाया गया।

(उत्तमसिंह शेखावत)
R.A.S.
सहायक कलक्टर
डीडवाना

सहायक कलक्टर
डीडवाना (नागौर)

Scanned by CamScanner

डिगरी बमुकद्दमें इब्तदाई
(आर्डर 20, रूल 6, 7 जाब्ता दीवानी)
अज अदालतः– सहायक कलक्टर, डीडवाना
बइजलास : **श्री उत्तमसिंह शेखावत, R.A.S.**

राजस्व वाद संख्याः **2017/282** दायर दिनांक **06.10.2017**

| वादी | | प्रतिवादीगण |
|---|---|---|
| 1. जेबून पत्नि श्री इस्माईल मोहम्मद जाति रंगरेज निवासी रघुनाथपुरा तहसील डीडवाना। | **बनाम्** | 1. तहसीलदार डीडवाना। |

**दावा बाबत् रेकर्ड दुरूस्ती**
**अन्तर्गत धारा 136 रा0भू0 राजस्व अधिनियम**

दिनांक **29.11.2017**

यह मुकद्दमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रूबरू हमारे व हाजरी मिनजानिब मुद्दई श्री हकीम खांन अधिवक्ता वादी की ओर से मद्दायलह पेश होकर हुक्म दिया जाता है कि हस्व दावा डिक्री सादिर कर, सरहद कोलिया के खसरा संख्या 2100/1751 रकबा 11 बीघा 09 बिस्वा में वादीनी का नाम जुबुनिशा पत्नी मोहम्मद ईस्माइल के स्थान पर जेबुन पत्नी ईस्माइल मोहम्मद दुरूस्त किया जाता है। तदनुसार राजस्व रेकर्ड दुरूस्त हो। डिक्री जारी हो।

नीज..........–.......... मुबलिंग............–............... बाबत.....................–....................खर्चा इस मुकद्दमें के मय सूद व शरह..........–.......... आज की तारीख को अदा करें।बसब्त मेरे दस्तख्त व मुहर अदालत के आज की तारीख **29.11.2017** को सरे इजलास में जारी की गयी।

सहायक कलक्टर
डीडवाना (नागौर)
सहायक कलक्टर
डीडवाना

| मुद्दई | रूपया | पैसे | मुदायलह | रूपया | पैसे |
|---|---|---|---|---|---|
| स्टाम्प अर्जीदावा<br>स्टाम्प वकालतनामा<br>स्टाम्प वजह सबूत<br>महनताना वकील<br>खर्चा गवाहान<br>फिस कमिश्नर<br>बाबत इजराय हुक्मनामा<br>मुतफर्रिक | <br><br><br>–<br>– | | स्टाम्प वकालतनामा<br>स्टाम्प अर्जी<br>महनताना वकील<br>खर्चा गवाहान<br>फिस कमिश्नर<br>बाबत इजराय हुक्मनामा<br>मुतफर्रिक | | |
| मिजान | | | मिजान | | |

नोटः–इस खर्च के फार्म पर कुल खर्चा हर दो फरीकेन का, चाहे डिगरी के जरिये दिलाया गया हो या नही दर्ज करना चाहिये।

सहायक कलक्टर
डीडवाना (नागौर)
सहायक कलक्टर
डीडवाना

Scanned by CamScanner